

महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ चाईल्ड केयर में नामांकन करवाने के लिए एक वर्तमान ACIR इम्युनाईजेशन हिस्टरी स्टेटमेंट या इम्युनाईजेशन हिस्टरी फॉर्म (उन बच्चों के लिए जिन्हें टीके देरी से लगाए जा रहे हैं) जमा करवाना होगा।
- ✓ आवश्यकतानुसार, डॉक्टर द्वारा जारी किया गया मेडिकेयर मेडिकल कंट्राइंडिकेशन फॉर्म या कंसिएंशस ऑब्जेक्शन फॉर्म भी जमा किया जा सकता है
- ✓ टीके यदि समय पर लगाए जाएं तो वे अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं
- ✓ टीके लगवाने में देरी करने से बच्चे को बीमारी होने और बहुत बीमार हो जाने का खतरा रहता है
- ✓ बच्चों में छोटी मोटी बीमारी, जैसे नाक बहना या जुकाम होने पर भी टीका लगवाना सुरक्षित होता है
- ✓ समुदाय में अधिकांश लोगों को टीका लगाने से वे लोग भी सुरक्षित रहने हैं जिन्हें टीका न लगा हो और इससे टीके से बचाव की घातक बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है
- ✓ निःशुल्क फोन प्रोग्राम *Save the Date to Vaccinate* डाउनलोड करें जिससे आपके पास हर बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा और आपको सही समय पर टीका लगवाने के लिए याद दिलाया जाएगा। इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए **Save the Date to Vaccinate** की वेबसाइट (www.immunisation.health.nsw.gov.au) पर जाएं और iTunes (iPhone के लिए) अथवा Google Play (Android के लिए) के लिंक का अनुसरण करें।

अधिक जानकारी

ACIR वेबसाइट

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register

एन एस डब्ल्यू हेल्थ वेबसाइट

www.health.nsw.gov.au/immunisation

एन एस डब्ल्यू हेल्थ

'Save the Date to Vaccinate'

अभियान की वेबसाइट

www.immunisation.health.nsw.gov.au

ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजिंग

इम्युनाईज ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम

www.immunise.health.gov.au



चाईल्ड केयर (शिशु देख-रेख) में प्रवेश और प्रतिरक्षण

माता-पिता के लिए जानकारी



चाईल्ड केयर से पहले संरक्षण

चाईल्ड केयर में जाना आरंभ करने से पहले बच्चों को पूरे टीके लगवाना उनके संरक्षण में सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण है। देरी से टीके लगवाने से बच्चों को गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा रहता है।

चाईल्ड केयर में नामांकन और कानूनी अपेक्षाएं

एन एस डब्ल्यू पब्लिक हेल्थ एक्ट (न्यू साउथ वेल्स सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम) 2010 के अंतर्गत माता-पिता के लिए ऑस्ट्रेलियन चाईल्डहुड इम्युनाइजेशन रजिस्टर (ऑस्ट्रेलियन बाल्यावस्था प्रतिरक्षण रजिस्टर - ACIR) द्वारा जारी की गई Immunisation History Statement (इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट - प्रतिरक्षण इतिहास - जो यह दिखाए की सभी टीके समय पर लगा दिए गए हैं), या Immunisation History Form IMM13 (इम्युनाइजेशन हिस्ट्री फॉर्म आई एम एम यू 13 - जो यह दर्शाता है कि बच्चे को टीके देरी से लगाए जा रहे हैं) या इम्युनाइजेशन एक्ज़ैम्पशन फॉर्म (प्रतिरक्षण से छूट का फॉर्म) जमा करवाना अनिवार्य है। यदि टीके से बचाए जा सकने वाली कोई बीमारी फैलती है तो इस जानकारी का इस्तेमाल उपयुक्त बच्चों को चाईल्ड केयर से दूर रखने के लिए किया जाता है।

जिन माता-पिता के पास उपयुक्त दस्तावेज़ नहीं हैं, वे चाईल्ड केयर में अपने बच्चे का नामांकन नहीं करवा सकेगे

इम्युनाइजेशन एक्ज़ैम्पशन फॉर्म (प्रतिरक्षण से छूट के फॉर्म)

जिन बच्चों को किसी चिकित्सीय कारण से टीके नहीं लगाए गए हैं या जिनके माता-पिता को प्रतिरक्षण करवाने के प्रति आपत्ति है, वे यदि डॉक्टर (चिकित्सक) या इम्युनाइजेशन नर्स (टीका लगाने वाली परिचारिका) द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित में से कोई एक फॉर्म नामांकन के समय जमा करवाने हैं तो उनका चाईल्ड केयर में नामांकन किया जा सकता है:

- इम्युनाइजेशन एक्ज़ैम्पशन

Medical Contraindication Form (IMMU11)

मैडिकल कंटाइंडिकेशन फॉर्म, अथवा;

- इम्युनाइजेशन एक्ज़ैम्पशन

Conscientious Objection Form (IMMU12)

कंसिएंशस ऑब्जेक्शन फॉर्म

ACIR इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट (प्रतिरक्षण इतिहास)

जब बच्चे को 18 महीने के और 3½-4 वर्ष की आयु में लगाए जाने वाले पूरे टीके लगा दिए जाते हैं तो माता-पिता को डाक द्वारा एक इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट भेजी जाती है। माता-पिता किसी भी समय इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट जारी किए जाने का अनुरोध कर सकते हैं:

- ऑस्ट्रेलियन चाईल्डहुड इम्युनाइजेशन रजिस्टर को **1800 653 809** पर फ़ोन करके
- www.medicareaustralia.gov.au/online पर मेडिकेयर ऑनलाइन सर्विसिज़ के द्वारा
- acir@medicareaustralia.gov.au को ई-मेल द्वारा स्टेटमेंट का अनुरोध करके
- अपने स्थानीय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसिज़ सेंटर, मेडिकेयर या सेंट्रलिक कार्यालय में जा कर

'अप टु डेट' (समय पर टीका लगाए गए) बच्चे

चाईल्ड केयर में नामांकन के समय छोटी आयु के कारण यह संभव है कि बच्चे को बाल्यावस्था के सभी टीके न लगे हों। जिन बच्चों को टीके समय से लगा दिए गए हैं, उनकी ACIR इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट में बायीं ओर उपर के कोने में "up to date" (अप टु डेट) लिखा होगा। आगे लगाए जाने वाले टीके और उनकी नियत तिथियाँ स्टेटमेंट के नीचे के भाग में होंगी।

बड़े बच्चे, जिनको पूरे टीके लगा दिए गए हैं, उनकी इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट के नीचे के बैंगनी भाग में "This child has received all vaccines required by 5 years of age" (इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक के सारे टीके लगा दिए गए हैं) लिखा होगा।

वे बच्चे जिन्हें विदेश में टीके लगे हैं

विदेश में टीके लगाए जाने का कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियन कार्यक्रम से भिन्न हो सकता है, इसलिए एक डॉक्टर या इम्युनाइजेशन नर्स द्वारा उनका निरीक्षण करके उनकी जानकारी ACIR को देनी होगी। इसके बाद ACIR द्वारा माता-पिता को ACIR इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट जारी की जाएगी।

इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट में गलत जानकारी

यदि इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट में कुछ टीकों की जानकारी शामिल नहीं है तो माता-पिता को टीका लगाने वाले डॉक्टर या नर्स से संपर्क करके यह पता करना चाहिए कि टीके की जानकारी ACIR को भेजी गई थी या नहीं। जब ACIR को डॉक्टर या नर्स से अप टु डेट (पूरी वर्तमान) जानकारी मिल जाएगी, तब ACIR द्वारा माता-पिता को ACIR इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट पुनः जारी की जा सकती है।

इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट -

यदि यह दर्शाती है कि बच्चा अप टु डेट नहीं है

जो बच्चे टीका लगवाने में पिछड़े गए हैं, यदि वे एक कैच अप प्लान (जल्दी से जल्दी बचे हुए टीके लगाने की योजना) में शामिल हो जाते हैं तो वे चाईल्ड केयर में नामांकन करवा सकते हैं। डॉक्टर या नर्स को एक इम्युनाइजेशन हिस्ट्री फॉर्म भर कर ACIR को भेजना होगा और माता-पिता को उसकी कॉपी (प्रतिलिपि) देनी होगी।

टीके द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारी का फैलना

ऐसी किसी बीमारी के फैलने पर जिन बच्चों को उस बीमारी का टीका नहीं लगा है, उन्हें अपने घर में रहना पड़ेगा। इससे बच्चा सुरक्षित रहेगा और उस बीमारी को समाज में फैलने से रोका जा सकेगा।

अधिक वर्तमान इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट

हर बार टीका लगवाने के बाद माता-पिता को अपने बच्चे की नई इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट चाईल्ड केयर डायरेक्टर (निदेशक) को देनी चाहिए ताकि वे उसे अपने इम्युनाइजेशन रजिस्टर में शामिल कर सकें। माता-पिता यह स्टेटमेंट सीधे मेडिकेयर ऑनलाइन सर्विसिज़ की वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं।

फैमिली टेक्स बैनीफिट पार्ट ए (पारिवारिक कर लाभ भाग अ)

फैमिली टेक्स बैनीफिट पार्ट ए (Family Tax Benefit Part A) सप्लीमेंट (पूरक राशि) प्राप्त करने के लिए जब बच्चा 1, 2, या 5 वर्ष का हो जाता है तो उस वर्ष में ACIR के रिकॉर्ड में उसके द्वारा पूरे टीके लगवाए जाने की बात दर्ज होनी चाहिए। यदि माता-पिता इम्युनाइजेशन एक्ज़ैम्पशन फॉर्म जमा कर दें तो वे इसके पात्र बने रह सकते हैं।

